दिनांक 23-05-2022 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत प्रदेश के गन्ना किसानों का कुल देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष मात्र रू.13.89 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2021–22 के अन्तर्गत 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष रू.8,917.85 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है।

पेराई सत्र 2020–21 के अन्तर्गत अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली 02 चीनी मिलों यथा: गड़ौरा–महराजगंज एवं कप्तानगंज–कुशीनगर में से चीनी मिल गड़ौरा के विरुद्ध दिनांक 12-11-2021 को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा कप्तानगंज चीनी मिल को दिनांक 11-01-2021 एवं 28-03-2022 को नोटिसें निर्गत कर अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2021–22 में अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022 को नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही समय–समय पर आहूत समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान पेराई सत्र 2021–22 में गत पेराई सत्र के सापेक्ष रू. 25.00 प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी करते हुए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.) निम्नवत् घोषित किया गयाः–

अगैती प्रजाति	रू.350.00 प्रति कुन्तल
सामान्य प्रजाति	रू.340.00 प्रति कुन्तल
अनुपयुक्त प्रजाति	रू.335.00 प्रति कुन्तल

प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मी नारायण चौधरी
मंत्री
गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।